



बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(बीमा दलाल) विनियम, 2013 (Insurance Brokers) Regulations, 2013

फार्म बी (विनियम (5 और 15) देखें) FORM B (See Regulations 5 & 15)

लाइसेंस LICENCE

लाइसेंस संख्या: 539 Licence No.

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा मे. ग्रेटलिफ इन्सुरेंस ब्रोकिंग्स एंड कंसल्टेंसी प्रा. लि. को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण) दलाल (श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें) के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act 1938(4 of 1938) the Authority hereby grants a licence to M/s. GREATLIFE INSURANCE BROKING AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED to act as DIRECT LIFE & GENERAL broker under the Act.

2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट है IRDA/DB.606/15 Licence Code for the Insurance broker is IRDA/DB.606/15

3. यह लाइसेंस 14/10/15 से 13/10/18 तक वैध होगा। This licence shall be valid from 14/10/15 to 13/10/18

4. यह लाइसेंस, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियम और विनियम के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है This licence is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, Rules or Regulations.

स्थान: हैदराबाद Place: HYDERABAD दिनांक: 14/10/15 Date: 14/10/15

आदेशानुसार By Order

Signature

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority